


27  $\frac{06}{16}$

पक्षावली कोरि केम्य छात्रा में पेश  
के पक्षावली में निर्णय सभ्य से  
लिखा जाकर शामिल किया गया

पक्षावली के एक सुमार होकर  
दि नम्बर में कम की जाये!

  
(उम्मेद सिंह राजावत)  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पब्लिक सहायक कलेक्टर, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :- 90/2016

श्री शंकरलाल पिता मांगीलाल जाट निवासी कान्दा तहसील व जिला भीलवाडा

-प्रार्थी

बनाम

1. श्री किशनलाल पिता लक्ष्मण जाट निवासी कान्दा तहसील व जिला भीलवाडा
2. श्री लादूलाल पुत्र कल्याण मल सोनी निवासी कान्दा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री देबी पुत्र भागीरथ जाट निवासी कान्दा तहसील व जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य तहसीलदार भीलवाडा।

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू.-राज.अधि., 1956

निर्णय दिनांक 27.06.2016

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू.-राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 18.03.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कान्दा प0म0 कान्दा तहसील व जिला भीलवाडा में उसके खाते की कृषि भूमि की में आराजी न0 1528/2 रकबा 02-16 बीघा, आराजी नम्बर 2678/1528 रकबा 00-03, कुल किता 02-19 बीघा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 18.03.2016 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित है। अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं है इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह बात निसंदेह है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार हेराफेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किए जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसील भीलवाडा ग्राम कान्दा में स्थित प्रार्थी के खाते की कृषि आराजी न0 1528/2 रकबा 02-16 बीघा, आराजी नम्बर 2678/1528 रकबा 00-03, कुल किता 02-19, बीघा भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभयपक्षकारान की उपस्थिति में करा देंगे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 300/- अक्षरे सौ रुपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रुपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा, खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 27.06.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया।  
प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहें।

(उम्मेदसिंह राजावत)  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा